भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †1383
सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन की स्थिति एवं विकास क्षमता

†1383. श्री अबू ताहेर खान:
श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी पर्यटन संवर्धन रणनीति के अंतर्गत भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में चिकित्सा पर्यटन की वर्तमान स्थिति एवं विकास क्षमता संबंधी कोई आकलन किया है, जिसमें विगत पाँच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में आने वाले विदेशी रोगियों/चिकित्सा पर्यटकों की संख्या, विशेषरूप से गुजरात में तथा चिकित्सा पर्यटन से अर्जित राजस्व शामिल है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चिकित्सा पर्यटन की वृद्धि को प्रभावित करने वाली वीज़ा सुविधा, अवसंरचनात्मक कमियाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता तथा संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय जैसी प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के समन्वय से भारत को वैश्विक चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई नीतिगत अथवा प्रोत्साहनात्मक उपाय लागू करने का प्रस्ताव है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू तथा वैश्विक बाजारों में भारत के पर्यटन गंतव्यों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई पहल की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। इसके सतत कार्यकलापों के भाग के रूप में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन का संवर्धन भी शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में चिकित्सा पर्यटन की वर्तमान स्थिति, प्रमुख चुनौतियों और विकास संभावना का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा पर्यटन संबंधी राज्य-वार, उद्देश्य-वार विदेशी पर्यटक आगमन और अर्जित राजस्व के आंकड़ों का रिकॉर्ड नहीं रखता है।

आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के अनुसार, पिछले 5 वर्षों के दौरान चिकित्सा प्रयोजन हेतु वर्ष-वार विदेशी पर्यटक आगमन निम्नानुसार है:

वर्ष	**भारत में विदेशी पर्यटक आगमन**	**चिकित्सा प्रयोजन हेतु विदेशी पर्यटक आगमन**
2019	1,09,30,355	6,97,453
2020	27,44,766	1,82,945
2021	15,27,114	3,23,748
2022	64,37,467	4,74,798
2023	95,20,928	6,59,356
2024	99,51,722	6,44,387
2025 (जनवरी से नवंबर) (अ)	79,34,617	4,50,633

(अ): अनंतिम

भारत में चिकित्सा एवं निरोगिता पर्यटन के विकास को गति प्रदान करने और भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं निरोगिता पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार करके संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और औद्योगिक हितधारकों को परिचालित किया है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने एक व्यापक वेबसाइट यथा http://www.indiahealthcaretourism.com तैयार की है, जो मान्यता प्राप्त अस्पतालों और निरोगिता केंद्रों, वीजा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर इस पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया है।

चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की सुविधा हेतु भारत सरकार ई-मेडिकल वीजा/ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा प्रदान करता है।

*****